रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1987/ज्येष्ठ 16, 1909

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1987/JYAISTHA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 20 मई, 1987

सा० का० नि० 424—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इन नियमों के परिशिष्ट-II में उल्लिखित छब्बीस भर्ती नियमों को जहां तक कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से संबंधित हैं, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या की जाने वाली कार्रवाई को छोड़कर, अधिक्रमण करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के विभिन्न कार्यालयों, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के भाषा प्रभाग और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशको के कार्यालयों से कनिष्ठ आशुलिपिक के उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों (कनिष्ठ आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1987 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम, इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, कलकत्ता में स्थित उक्त कार्यालय का भाषा प्रभाग और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों मे कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर अलग-अलग लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 मे विनिर्दिष्ट हैं।

289GI/87—1

नई दिल्ली, 22 मई, 1987

सा. का. नि. 438—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अनुच्छेद 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) ये नियम भारतीय डाकघर नियम (तृतीय संशोधन) 1982 कहे जाएं।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 17-क के उप-नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

(छ) ऐसे बुक पैकेटों की किसी भी पुस्तक में मूल्य सूची या बिल या पुस्तक सप्लाई का आर्डर नहीं होगा। बशर्ते कि बुक पैकेट में उस पैकेट की पुस्तकों से संबंधित बिल या सूची अथवा दोनों हो सकती है।

[सं. 4-1/87-सी आई]
जी वी. मोहन, निदेशक
(पी. ओ.)

New Delhi, the 22nd May, 1987

G.S.R. 438.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (third Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Post Office Rules, 1983, in sub-rule (1) of rule 17A, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

(g) no book in such book packet shall contain any price list or bills or orders for supply of the books.

Provided that the book packet may contain an invoice or a bill or both pertaining to books being sent in that packet.

[No. 4-1/87-CI]
G. V. MOHAN, Director (PO)

Note :—Principal Notifications issued after the publication of the Indian Post Office Rules, 1933 are as follows : —

1.	G.S.R. No. 2886	Dated 10-12-1975
2.	G.S.R. No. 596 (E)	Dated 30-12-1975
3.	G.S.R. No. 741 (E)	Dated 31-12-1975
4.	G.S.R. No. 472	Dated 24-1-1976
5.	G.S.R. No. 93 (E)	Dated 25-2-1976
6.	G.S.R. No. 811 (E)	Dated 31-5-1976
7.	G.S.R. No. 943 (E)	Dated 21-6-1976
8.	G.S.R. No. 135	Dated 7-1-1978
9.	G.S.R. No. 304 (E)	Dated 29-5-1978
10.	G.S.R. No. 316 (E)	Dated 18-5-1979
11.	G.S.R. No. 4118	Dated 29-12-1979
12.	G.S.R. No. 1256	Dated 13-5-1980
13.	G.S.R. No. 490 (E)	Dated 26-6-1980
14.	G.S.R. No. 491 (E)	Dated 26-8-1980
15.	G.S.R. No. 380 (E)	Dated 5-6-1981
16.	G.S.R. No. 409 (E)	Dated 25-9-1981
17.	G.S.R. No. 417 (E)	Dated 22-5-1982
18.	G.S.R. No. 59 (E)	Dated 11-2-1982
19.	G.S.R. No. 412 (E)	Dated 13-5-1982
20.	G.S.R. No. 33 (E)	Dated 20-1-1983
21.	G.S.R. No. 49 (E)	Dated 2-2-1983
22.	G.S.R. No. 444 (E)	Dated 23-5-1983
23.	G.S.R. No. 1652	Dated 19-5-1984
24.	G.S.R. No. 329	Dated 3-5-1986
25.	G.S.R. No. 461	Dated 14-6-1986
26.	S.O. No. 2420	Dated 28-6-1986
27.	S.O. No. 436 (E)	Dated 24-7-1986
28.	S.O. No. 2460	Dated 5-7-1986
29.	S.O. No. 3677	Dated 25-10-1986
30.	S.O. No. 548	Dated 28-2-1987
31.	S.O. No. 450 (E)	Dated 29-4-1987

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मई, 1987

सा. का. नि. 439—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती (पांचवा संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम 1963 में—

(क) नियम 1(क) के उप-नियम (1) के खंड (ख) के खंड (छ) का लोप किया जाएगा, और

(ख) नियम 4 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"4ख. प्रोन्नति प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, नियमित प्रोग्राम काडर के अधिकारियों की और ऐसे स्टाफ कलाकारों की, जो सरकारी कर्मचारी हो गए है, ज्येष्ठता की पृथक सूचियां होंगी, दोनों सूचियों में से अगली श्रेणी में प्रोन्नति कोटा के आधार पर होगी, जिसका अनुपात, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होने की तारीख को, प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की विद्यमान संख्या के आधार पर होगा

परन्तु यदि कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्र हो जाता है और उसके बारे में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी अधिकारियों के बारे में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा :

किन्तु ऐसा इस बात के होते हुए भी होगा कि उन्होंने उस श्रेणी में विहित सेवा पूरी नहीं की है परन्तु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।"

टिप्पण —मूल नियम जिन्हें आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 कहा गया है सा.का.नि. संख्या 24 तारीख 23-12-63 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए —

1. अधिसूचना सं. 11/8/62-बी(ए) तारीख 9-6-1964
2. अधिसूचना सं. 11/11/62-बी(ए) तारीख 18-6-64
3. अधिसूचना सं. 5/24/62-बी(ए) तारीख 31-8-65

4. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 17-9-1965
5. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 27-11-1965
(सा. का. नि. सं. 1820 तारीख 11-12-1965)
6. अधिसूचना सं. 13/78/62-बी (ए), तारीख 30-11-1965
7. अधिसूचना सं. 5/15/65-बी (ए), तारीख 28-7-1965
8. अधिसूचना सं. 11/8/65-बी (ए), तारीख 9-9-1966
9. अधिसूचना सं. 5/3/67-बी (ए), तारीख 7-10-1967
10. अधिसूचना सं. 6/107/65-बी (ए), तारीख 3-7-1967
11. अधिसूचना सं. 11/5/65-बी (ए), तारीख 13-9-1968
12. अधिसूचना सं. 7/5/68-बी (ए), तारीख 9-10-1968
13. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख 14-11-1968
14. अधिसूचना सं. 17/8/68-बी (ए), तारीख 6-6-1969
15. अधिसूचना सं. 17/6/68-बी (ए), तारीख 4-6-1969
16. अधिसूचना सं. 11/5/65-बी. (ए), तारीख 29-9-1969
17. अधिसूचना सं. 17/2/69-बी (ए), तारीख 19-11-1969
18. अधिसूचना सं. 17/1/69-बी (ए), तारीख 23-2-1970
19. अधिसूचना सं. 17/3/69-बी (ए), तारीख 16-9-1970
20. अधिसूचना सं. 1/2/70-बी (ए), तारीख 18-2-1971
21. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख 23-3-1971
22. अधिसूचना सं. 1/2/71-बी (ए), तारीख 6-12-1971
23. अधिसूचना सं. 1/2/71-बी (ए), तारीख 10-1-1972
24. अधिसूचना सं. 1/3/70-बी (ए), तारीख 18-5-1972
25. अधिसूचना सं. 1/9/71-बी (ए), तारीख 6-6-1972
26. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख 13-6-1972
27. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए), तारीख 30-9-1972
28. अधिसूचना सं. 1/6/70-बी (ए), तारीख 6-12-1972
29. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए), तारीख 30-9-1972
30. अधिसूचना सं. 5/39/71-टी (ए), तारीख 3-12-1973
31. अधिसूचना सं. 1/4/73-बी (ए), तारीख 2-6-1973
32. अधिसूचना सं. 1/10/71-बी (ए), तारीख 10-9-1973
33. अधिसूचना सं. 1/2/73-बी (ए), तारीख 29-9-1973
34. अधिसूचना सं. 1/2/72-बी (ए), तारीख 26-10-1974
(सा. का. नि. सं. 1196 तारीख 9-11-1974)
35. अधिसूचना सं. 5/33/70-बी (ए), तारीख 30-1-1974
(सा. का. नि. सं. 1220 तारीख 16-11-1974)
36. अधिसूचना सं. 1/18/73-बी (ए), तारीख 18-10-1974
37. अधिसूचना सं. 5/17/74-बी (ए), तारीख 13-2-1975
(सा. का. नि. सं. 267 तारीख 22-2-1975)
38. अधिसूचना सं. 5/66/73-टी.बी. तारीख 5-4-1975
39. अधिसूचना सं. 1/1/71-बी (ए), तारीख 30-6-1975
(सा. का. नि. सं. 895 तारीख 19-7-1975)
40. अधिसूचना सं. 1/3/75-बी (ए), तारीख 19-12-1975
41. अधिसूचना सं. 1/8/75-बी (ए), तारीख 20-2-1976
42. अधिसूचना सं. 5/14/75-बी (ए) तारीख 23-3-1976
43. अधिसूचना सं. 5/10/76-बी (ए) तारीख 7-5-1976
44. अधिसूचना सं. 1/1/73-बी (ए), तारीख 19-7-1976.
45. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए), तारीख 16-8-1977
(सा. का. नि. सं. 1184 तारीख 10-9-1977)
46. अधिसूचना सं. 12019/7/77-बी (ए), तारीख 15-9-1977
(सा. का. नि. सं. 1358, तारीख 8-9-1977)
47. अधिसूचना सं. 12018/5/75-बी (ए), तारीख 15-12-1977
48. अधिसूचना सं. 12018/4/76-बी (ए), तारीख 20-2-1978
49. अधिसूचना सं. 12010/5/76-बी (ए), तारीख 4-6-1978
50. अधिसूचना सं. 12019/8/78-बी (ए), तारीख 26-12-1978
(सा. का. नि. सं. 94 तारीख 20-1-1979)
51. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए), तारीख 18-4-1978
52. अधिसूचना सं. 12018/1/76-बी (ए), तारीख 18-7-1980
53. अधिसूचना सं. 12018/5/76-बी (ए), तारीख 1-11-1980
54. अधिसूचना सं. 12019/9/77-बी (ए), तारीख 9-1-1981
55. अधिसूचना सं. 12024/13/76-बी (ए), 6-7-1981
(सा० का. नि. सं. 722, तारीख 1-8-1981)
56. अधिसूचना सं. 12019/1/81-बी (ए), तारीख 26-9-1981
57. अधिसूचना सं. 12018/1/81-बी (ए) तारीख 31-8-1978
(सा. का. नि. संख्या 869 तारीख 19-9-1981)
58. अधिसूचना संख्या 12018/4/76-बी (ए), तारीख 1-3-1983
59. अधिसूचना संख्या 12019/1/81-बी (ए), तारीख 1-3-1983
60. अधिसूचना सं. 19011/12/81-बी (ए), तारीख 11-8-1983
61. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी (ए), तारीख 23-10-1984
(सा. का. नि. सं. 739 (क) तारीख 23-10-1984)
62. अधिसूचना सं. 12019/2/84-बी (ए), तारीख 27-2-1985
(सा. का. नि. सं. 103 (ख), तारीख 27-2-1985)
63. अधिसूचना सं. 12019/2/84-बी (ए), तारीख 27-2-1985
(सा. का. नि. सं. 103 (क), तारीख 27-2-1985)
64. अधिसूचना सं. 32013/7/75-बी (ए), तारीख 18-7-1986
(सा. का. नि. सं. 948 (अ), तारीख 18-7-1986)
65. अधिसूचना संख्या 12019/1/85-बी (ए), तारीख 29-1-1987
(सा. का. नि. सं. 69 (अ), तारीख 29-1-1987)
66. अधिसूचना सं. 12018/2/85-बी (ए), तारीख 5-3-1987)
(सा. का. नि. सं. 273 (अ), तारीख 5-3-1987)
67. अधिसूचना सं. 7/17/83-एआर/बी (ए), तारीख 5-3-1987
(सा. का. नि. सं. 274 (अ), तारीख 5-3-1987)
68. अधिसूचना सं. 12018/6/86-बी (ए), तारीख 23-3-1987
(सा. का. नि. सं. 302 (अ), तारीख 23-3-1987)

[सं. 45011/83/82(बी.) (ए)–जिल्द IV(i)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th May, 1987

G.S.R. 439—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, –

(a) clauses (f) and (g) of sub-rule (f) of rule 4A shall be omitted; and

(b) after rule 4A, the following rule shall be inserted, namely:

"4B. Promotion :

For the purpose of promotion there shall be separate lists of seniority of officers of regular programme cadre and that

of staff artists who have become Government employees. Promotion to the next grade from the two lists shall be on the quota basis the ratio of which shall be based on the existing number of posts in each category on the date of holding of the meeting of the Departmental Promotin Committee Provided that if any junior person is eligible and is considered for promotion, all officers senior to him in that grade shall be considered for promotion, not-withstanding that they may not have completed the prescribed service in the grade provided they have successfully completed their period of promotion".

Note.—The Principal Rules called the [redacted]ndia Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24 dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified.

1. Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-4-1964
2. " No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-1964.
3. ,, No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965
4. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965
5. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-1965 (GSR No. 1820 dated 11-12-1965)
6. ,, No. 13/78/62-B(A), dated 30-11-1965
7. ,, No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-1965
8. ,, No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-1966
9. ,, No. 5/3/67-B(A), dated 7-10-1967
10. ,, No. 6/107/65-B(A), dated 3-4-1968
11. ,, No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-1968
12. ,, No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-1968
13. ,, No. 5/12/68-B(A) dated 14-11-1968
14. ,, No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-1969
15. ,, No. 17/6/68-BB(A), dated 4-6-1969
16. ,, No. 11/5/65-B(A), dated 2-9-1969
17. ,, No. 17/2/69-B(A), dated 19-11-1969
18. ,, No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-1970
19. ,, No. 17/3/69-B(A), dated 16-2-1970
20. ,, No. 1/2/70-B(A), dated 18-2-1971
21. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 22-3-1971
22. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 6-12-1971
23. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 10-1-1972
24. ,, No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-1972
25. ,, No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972
26 ,, No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-1972
27. ,, No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972
28. ,, No. 1/6/70-B(A.) dated 6-12-1972
29. ,, No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1992
30. ,, No. 5/39/71-TV, dated 3-12-1973
31. ,, No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-1973
32. ,, No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-1973
33. ,, No. 1/2/73-B(A.) dated 29-9-1973
34. ,, No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-1974 (GSR No. 1196 dated 9-11-1974)
35. ,, No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-1974 (GSR No. 1220 dated 16-11-1974)
36. ,, No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-1974
37. ,, No. 5/17/74-B(A)) dated 13-2-1975 (GSR No. 267 dated 22-2-1975)
38. ,, No. 5/66/73-TV, dated 5-4-1975
39. ,, No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-1975 (GSR No. 895 dated 19-7-1975)

40. ,, No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-1975
41. ,, No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-1976
42. ,, No. 5/14/75-B(A), dated 23-3-1976
43 ,, No. 5/10/76-B(A), dated 7-5-1976
44. ,, No. 1/1/73-B(A) dated 19-7-1976
45. ,, No. 120/18/5/76-B(A), dated 16-8-1977 (GSR No. 1184 dated 10-9-1977)
46. ,, No. 12019/7/77-B(A), dated 15-9-1977 (GSR No. 1358, dated 8-10-1977)
47. ,, No. 12018/5/76-B(A), dated 15-12-1977
48. ,, No. 12018/4/76-B(A), dated 20-2-1978
49. ,, No. 12018/5/76-(A), dated 4-6-1978
50. ,, No. 12019/8/78-B(A), dated 26-12-1978 (GSR No. 94, dated 20-1-1979)
51. ,, No. 12018-/5/76-B(A), dated 18-4-1978
52. ,, No. 12018/1/76-B(A), dated 18-7-1980
53. ,, No. 12018/5/76-B(A), dated 1-11-1980
54. ,, No. 12019/9/77-B(A), dated 9-1-1981
55. ,, No. 12024/13/76-B(A), dated 8-7-1981 (GSR No. 722, dated 1-8-1981)
56. ,, No. 12019/1/81-B(A), dated 26-9-1981
57. ,, No. 12018/1/81-B(A), dated 31-3-1981 (GSR No. 869, dated 19-9-1981)
58. ,, No. 12018/4/76-B(A), dated 31-7-1972
59. ,, No. 12019/1/81-B(A), dated, 1-3-1983
60. ,, No 19011/12/81-B(A), dated 11-8-1983
61. ,, No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-1984 (GSR No. 739(A), dated 23-10-1984)
62. ,, No. 12019/2/84-B(A), dated 27-2-1985 (GSR No. 103(B), dated 27-2-1985)
63. ,, No. 12019/2/84-B(A), datdd 27-2-1985 (SR No. 103(A), dated 27-2-1985)
64. ,, No. 32013/7/85-B(A), dated 18-7-1986 (GSR No. 948(E), dated 18-7-1986)
65. ,, No. 12019/1/85-B(A), dated 29-1-1987 (GSR No. 69(E), dated 29-1-1987)
66 ,, No. 12018/2/85-B(A), dated 5-3-1987 (GSR No. 273(E), dated 5-3-1987)
67. ,, No. 7/17/83-AR/B(A) dated 5-3-1987 (GSR No. 274(E), dated 5-3-1987)
68. ,, No. 12018/6/86-B(A), dated 23-3-1987 (GSR No. 302(Y)) dated 23-3-1987)

[No. 45011/83/82-B(A)Vol.IV(i)]

सा. का. नि. 440 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 में —

(क) नियम 4(क) के उप-नियम (1) के खंड(च) और (छ) का लोप किया जाएगा; और